Sanjay Kumar-II
District & Addl. Sessions Judge-1st
Khagaria

State through Rajo Das Vs Kanhaiya Chaudhary
Spl. SC/ST Case No. 367 of 2017
Parbatta (Maraiya) PS Case No. 95 of 2017
CIS No. 33 of 2017)

जिला- खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

Spl. SC/ST Case No. 367 of 2017
Parbatta (Maraiya) PS Case No. 95 of 2017
CIS No. 33 of 2017)

राज्य (द्वारा राजो दास)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. कन्हैया चौधरी,
पिता- चन्द्रदेव चौधरी
साकिन-बलहा, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया

.... अभियुक्त

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST KHAGARIA

आरोपित धाराएँ 341, 323, 504 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act

अभियोजन की ओर से – श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री नरेन्द्र सनगही, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार-।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 13वीं अगस्त 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त कन्हैया चौधरी के विरूद्ध धारा 341, 323, 504 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक राजो दास के लिखित पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.03.2017 को समय करीब 09.10 बजे सुबह में दूध देने घर से गुरारी राय के दरवाजे पर जा रहे थे। ज्योंहि जयजयजराम के दरवाजे के सामने सड़क पर पहुँचे तो पीछे से

कन्हैया चैधरी आये और मुझे जाति लगाकर गाली देते हुए लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगे। घटना का कारण है कि चार दिन पहले रात में हमारे टोले में घर–घर खिड़की से सोये हुए औरत को ताक–झाँक करते हुए पकड़े गये थे, जिसको लेकर मुहल्ला वाले डाँट फटकार कर मुहल्ला से भगा दिये थे।

3. सूचक के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व्य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र साक्षी नेपाली दास का साक्ष्य अभियोजन साक्षी संख्या 01 के रूप में कराया गया है तथा उन्हें अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस केस के सूचक राजो दास की मृत्यु हो चुकी है। अन्य किसी भी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त कन्हैया चौधरी के विरूद्ध गठित धारा 341, 323, 504 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति

State through Rajo Das Vs Kanhaiya Chaudhary
Spl. SC/ST Case No. 367 of 2017
Parbatta (Maraiya) PS Case No. 95 of 2017
CIS No. 33 of 2017)

अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त कन्हैया चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

(संजय कुमार-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
13.08.2026

(संजय कुमार-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
13.08.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST
KHAGARIA

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST
KHAGARIA